

राजस्व लोक अदालत अभियान-2017

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

श्रीमान्नी, प्रार्थी रामफल डी, चीन्हा के स्थान पर सखनसे-वेसिया जम
 2014-2015 के खाता सं. 445 में रामफल डी, चीन्हा का डब्बे कर
 से जो गलत ही जम कि हलजम नामा सं. 885 के खाते की ओर
 के मुताबिकी का सही नाम रामफल डी, चीन्हा दिया जाना सुनिश्चित

पटवारी 3.11.17
 13

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

श्रीमान्नी
 रिपोर्ट है कि मुताबिक रिपोर्ट 3.11.17 नारीली, पण्डरी नारीली
 के अनुसार अभावही खाता सं. 445 में रामफल डी, चीन्हा के खाता
 पर रामफल डी, चीन्हा ^{नेपा} का ही नाम दिया जाना उचित है।

तहसीलदार (भू.अ.नि.)
 तहसील सपोटरा (करौली)

आदेश

रिपोर्ट पटवारी, 3.11.17, तहसीलदार सपोटरा एवं उच्चत दर्जा के
 के अनुसार प्रार्थी प्रार्थी चीन्हा (जिसका नामा सं. 885 है) किर्क मध्य
 से जाती है। पण्डरी फलस मुमा देर - नुमा से कर है।

3/11

समूह अधिकारी (SDM)
 पीठासन अधिकारी
 राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार
 सपोटरा, जिला-करौली (राज.)...

काम का नाम :-	ना
पटवारी हल्का :-	न
भू.अ.नि. क्षेत्र :-	न
तहसील :-	सपोटरा
जिला :-	करौली
कार्यकार का नाम	
जाति निवास के पते	
खण्ड	क्षेत्र
महत्वा	
1172	0-12
1174	0-14
1246	0-01
1248	0-11
1270	0-16
कुल	5 2-14
बसने -	

यह प्रपत्र केवल प्र
 उमका उपरोक्त कि
 प्रतिनिधि जारी क
 नामान्त-कन्या

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सपोटरा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प नारोली डोंग

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी नारोली डोंग व भूअ.नि. नारोली की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सपोटरा / नायब तहसीलदार की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम नारोली तहसील सपोटरा व जिला नारोली की जमाबन्दी सम्वत् 2011-14 में खाता संख्या 446 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क0स0	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
01	नारोली	446	रामफस फुज दीरिया	रामफस फुज दीरिया

पीठासीन अधिकारी (SDM)
राजस्व लोक अदालत "न्याय ओपके द्वार"
पीठासीन अधिकारी (राज0)
सपोटरा, जिला नारोली
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर,
दिनांक:- 13/6/17

कमांक:- 2/लोअ/2017/ 107-09

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सपोटरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री रामफस फुज दीरिया वसुदेव दीरिया को सूचनार्थ
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी (SDM)
राजस्व लोक अदालत "न्याय ओपके द्वार"
पीठासीन अधिकारी (राज0)
सपोटरा, जिला नारोली
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर,